संख्या-61/2023/20-23-10-23-01-सेतु-2023

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत ग्राम मदारपुर से जैतौली-शाहाबाद मार्ग पर रामगंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-936/प्रा0-आगणन-रामपुर(मदारपुर जैतौली)/सेतु-6/22-23 दिनांक 17.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत ग्राम मदारपुर से जैतौली-शाहाबाद मार्ग पर रामगंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 5987.70 (रूपये उनसठ करोड़ सत्तासी लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 से कॉलम-7 में अंकित कुल रू0 1496.93 (रूपये चौदह करोड़ छियानबें लाख तिरानबें हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग ¼5$6½	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामपुर	जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत ग्राम मदारपुर से जैतौली- शाहाबाद मार्ग पर रामगंगा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	5987.70	1179.43	317.50	1496.93	सेतु निगम
		योग-	5987.70	1179.43	317.50	1496.93	

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) **वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

http://shasanadesh.up.gov.in/co/

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी ।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(9) प्रायोजना हेतु भूमि अध्याप्ति 4.066 हे0 हेतु रू0 405.12 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। समिति द्वारा उक्त भूमि अध्याप्ति हेतु प्रस्तावित लागत रू0 405.12 लाख की धनराशि यथावत सम्मिलित की गयी है परन्तु भूमि अध्याप्ति का कार्य आवश्यकतानुसार राजस्व अधिनियम/ शासनादेश/वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(10) प्रभाग द्वारा लागत आंकलन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(14) आगणन में दर्शायी गयी मात्रायें तदर्थ जी0ए0डी0 के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा मौके पर विस्तृत सर्वे कराकर यथावश्यक डाइंग/डिजाइन एवं मात्राओं का सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करके निर्माण कराया जाये।

(15) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया है जिसमे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सेतु की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है तथा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित कार्यो पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(17) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दि0 07 जनू, 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दि0 04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 11,79,43,**000 (रुपये ग्यारह करोड़ उन्यासी लाख तैतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य *(2)* रुपये 3,17,50,000 (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-**8-488-**X-**2022-23-दिनांक: 31 जनवरी**, 2023 **मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या-61/2023/20-23-10-23-01-सेतु-2023, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त मुरादाबाद मण्डल/ जिलाधिकारी, रामपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग।
4- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov

8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर ।

9- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।

11- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।

12- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0 उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/